झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०–दु०–03 / 2012 ...... / राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री काशीनाथ मोदी, तदेन सहायक अभियंता, जलपथ अंचल, राँची के विरूद्ध सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–23 के प्रतिकूल एक पत्नी के जीवित रहते हुए बिना सरकारी अनुमति के दूसरी शादी करने के आरोप पर विभागीय संकल्प सं०– 1110 दिनांक– 19.05.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

1. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में निम्नांकित मंतव्य दिया गया :–

(i) श्री काशीनाथ मोदी पर पूर्व नियोजक (बिहार) द्वारा इस मामले में आरोप मुक्त किये जाने के उपरान्त पुनः एक ही आरोप के लिए दुबारा विभागीय कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं है एवं यह नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से भी उचित नहीं है।

(ii) इस मामले में उभय पक्षों द्वारा दायर मुकदमों में पारित न्याय निर्णयों एवं उसके अनुपालन को दृष्टि में रखते हुए विभाग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाए।

2. इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट मंतव्य नहीं दिया गया। इस मामले में झारखण्ड राज्य महिला आयोग का मंतव्य माँगा गया। आयोग द्वारा दिनांक– 31.08.2015 को आदेश पारित किया गया। पारित आदेश में श्री मोदी के सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि दिनांक– 28.03.1987 के पूर्व ही दोनों शादी सम्पन्न होने के कारण इन पर सरकारी सेवक आचार नियमावली का नियम–23 लागू नहीं होता है, के आलोक में इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने को विधि सम्मत् नहीं माना गया।

3. इसी मामले के परिवादनी श्री मोदी की प्रथम पत्नी अहिल्या देवी द्वारा माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गिरिडीह में दर्ज कराये गये केस सं०– 1253 / 09 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 01.05.2017 को पारित न्याय निर्णय में परिवादनी अहिल्या देवी के दिनांक– 26.02.2016 को मृत्यु होने, प्रतिस्थापित परिवादी के सुलहनामें का अनुरोध तथा अभियुक्त के विरूद्ध अपर्याप्त साक्ष्य के आलोक में श्री मोदी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया गया।

4. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री काशीनाथ मोदी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतः श्री काशीनाथ मोदी, तदेन सहायक अभियंता, जलपथ अंचल, राँची को आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है।

5. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह० / –
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _L.S._Du._03_2012_(Kashinath Modi).docx 1

P.T.O

ज्ञापांक : ....4174........ राँची / दिनांक ..01/10/18..

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, वित्त वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची / उप सचिव(प्रबंधन) प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री काशीनाथ मोदी, प्राक्कलन पदाधिकारी, जलपथ अंचल, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/09/18

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _L.S._Du._03_2012_(Kashinath Modi).docx 2